# <u>न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 224 / 2020 जिला टोंक

1. सूरज पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
2. हरजी पुत्र रामनारायण निवासी सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
3. हनुमान पुत्र रामनारायण निवासी सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
4. प्रहलाद पुत्र रामनारायण निवासी सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
5. किशनलाल पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक राज0

—अपीलांटस

बनाम्

1. श्योराम पुत्र नाथू जाति बैरवा निवासी ग्राम सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक राज0(मृतक)—

(1). भगवान सहाय पुत्र जगदीश पुत्र श्योजी जाति बैरवा निवासी सोहेला।

(2). ग्यारसी पुत्री जगदीश पुत्र श्योजी जाति बैरवा निवासी सोहेला।

(3). बसन्ती पुत्री जगदीश पुत्र श्योजी जाति बैरवा निवासी सोहेला।

(4). बदाम पुत्री जगदीश पुत्र श्योजी जाति बैरवा निवासी सोहेला।

2. तहसीलदार पीपलूं जिला टोंक।

—रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक दिनांक 12.10.2015 जिसके तहत आवेदन अधिनियम 14(4) भू—आवंटन अधिनियम 1970 प्रकरण आवेदन संख्या 10 / 2013 खारिज किया गया।

अपीलांट अभिभाषकः—अनुपस्थित

रेस्पोडेंट अभिभाषकः—श्री सीताराम विजय

राजकीय अभिभाषकः— अनुपस्थित

<u>निर्णय</u> दिनांकः—17.02.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 16.11.1974 को भू—आवंटन सलाहकार समिति द्वारा श्योराम पुत्र नाथू जाति बैरवा निवासी सोहेला तहसील टोंक एवं श्योजी पुत्र नाथू जाति बैरवा निवासी सोहेला तहसील टोंक को तत्समय खसरा नम्बर 2417 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 2393 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 1864 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी। अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 2417 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि के आवंटन को नियम विरूद्ध बताया तथा उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु उनके द्वारा जिला कलक्टर टोंक में एक प्रकरण नियम 14(4) भू—आवंटन नियम 1970 के तहत दर्ज करवाया। जिसे 10 / 2013 नम्बर दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर वाद सुनवाई जिला कलक्टर टोंक में अपने निर्णय दिनांक 12.10.2014 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर आवंटन को यथावत रखा। जिला कलक्टर टोंक के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा तत्समय न्यायालय [illegible] टोंक में दिनांक 24.11.2015 को अपील संख्या 42 / 2015 दर्ज करवाई है। तत्समय न्यायालय कार्यवाही के दौरान रेस्पोडेंट नम्बर 2 की मृत्यु होने पर कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे स्वीकार करते हुए संशोधित टाइटल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। दिनांक [illegible].2020 को न्यायालय आरएए द्वारा राजस्व ग्रुप—6 विभाग की अधीसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:55 IST
Reason: SelfAttested

में पत्रावली न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार होने से प्रेषित की गई। जिसे न्यायालय हाजा में दिनांक 18.03.2020 को 224/2020 नम्बर से दर्ज किया गया। अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपील के निम्न आधार बताये गये है–

1. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों को देखे बिना निर्णय दिये गये है।

2. विवादित भूमि पर अपीलांटगण का कब्जा चला आ रहा है। जिसकी सहमति पूर्व में अपीलार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दी गयी थी। जिसमें उन्होने यह कहा था कि भूमि गलती से उनके खाते मे लग गई है।

3. विवादित भूमि पर हमारा कब्जाकाश्त है। अतः अपील स्वीकार की जायें। आवंटन खसरा नम्बर 2417 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा खारिज किया जायें।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट अनुपस्थित रहे। वकील रेस्पोडेंट द्वारा निवेदन किया गया कि पत्रावली को मेरिट पर सुनकर निर्णय किया जाये। वकील रेस्पोडेंट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हमारा आवंटन सही माना था। हमने कोई भूमि सरेंडर नहीं की है। अतिक्रमी भूमि के मालिक नहीं बन सकते है। हम अनुसूचित जाति वर्ग से है तथा शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति वर्ग से है। अपील खारिज की जायें।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत बिन्दु पर अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर टोंक दिनांक 12.10.2015 का है तथा अपीलांट द्वारा अपील तत्समय न्यायालय आरएए टोंक में दिनांक 24.11.2015 को प्रस्तुत करना पाया जाता है। अतः अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार उनका खसरा नम्बर 2417 रकबा 2 बीघा भूमि पर आवंटन से पूर्व ही उनका कब्जा चला आ रहा है। उनके कुऐं व मकान बने हुए है। अतः अपील निस्तारण तक विवादित खसरा नम्बर के राजस्व रिकोर्ड व मौका स्थिति को यथावत रखा जाये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांटगण विवादित खसरा नम्बर के खातेदार नहीं है। कब्जा विधिपूर्व होना चाहिए। उनका प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनना पाया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर टोंक दिनांक 12.10.2015 का अवलोकन किया गया। जिला कलक्टर टोंक ने यह माना है कि रेस्पोडेंट को राजस्व एवं भू–सुधार विशेष अभियान नवम्बर 1975 में कैम्प सोहेला में रेस्पोडेंट को दिनांक 16.11.1975 को आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन में विवादित खसरा नम्बर 2417 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि भी शामिल की गई है। आवंटन दिनांक को रेस्पोडेंट के नाम पटवारी हल्का मे स्वयं के नाम कोई भूमि नही थी। उक्त भूमि का सुपुर्दगीनामा दिनांक 19.11.1975 को किया गया था। जमाबंदी संवत 2068 ग्राम सोहेला के अनुसार रेस्पोडेंट अब विवादित खसरा नम्बर के खातेदार है। यह भी अंकन किया है कि रेस्पोडेंट द्वारा उक्त भूमि भी अपीलांट के पक्ष में सरेण्डर नही की है। जिला कलक्टर टोंक के निर्णय के अनुसार आवंटन को उस समय 38 वर्ष हो चुके थे तथा उनके द्वारा आरआरटी 2007(2) पेज 1430 का ह[illegible]या है और यह कहा है कि उक्त न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर [illegible] होता है। अपी[illegible] मुख्य रूप से इस बात पर जोर दे रहे है कि उनका उक्त भूमि पर 40–50 वर्षो से तथा आवंटन से पूर्व ही उनका कब्जा चला आ रहा है। मगर अतिक्रमी के द्वा[illegible] भूमि को हमेशा अनाधिवासीत भूमि मानते हुए तथा ऐसी भूमियों पर आवंटन हेतु कोई रोक नहीं है। अतिक्रमी का कब्जा यदि मान भी लिया जाये तो भी वह विधिपूर्ण नही है। क्योकि रेस्पोडेंट अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:55 IST
Reason: SelfAttested

के कारण उसे आवंटित भूमि पर अपीलांट को जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से है को कोई लाभ नही दिये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर यह स्पष्ट हुआ है कि रेस्पोडेंट द्वारा अपनी भूमि का सरेण्डर नियमों के अनुसार कभी भी पूर्व में नही किया गया था। क्योकि भूमि अब भी रेस्पोडेंट की खातेदारी में दर्ज है। खातेदारी दर्ज होने के बाद अपीलांट के कब्जे में होने बाबत बिन्दु पर विचार किया जाना उचित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यही माना जायेगा कि रेस्पोडेंट को नियमानुसार भूमि का आवंटन किया गया था। अब वे भूमि के खातेदार है। उनके द्वारा आवंटन बाद भी उनके द्वारा भूमि का सरेण्डर नहीं किया गया। अतः अपील अपीलांट निरस्त योग्य है।

## क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर टोंक उनवान सुरज व अन्य बनाम श्योराम व अन्य अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 प्रकरण संख्या 10/2013 निर्णय दिनांक 12.10.2015 यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(गजेन्द्र सिंह राठौड़)**
**अतिरिक्त संभागीय आयुक्त**
**अजमेर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:55 IST
Reason: SelfAttested